संशोधन अधिनियम
1 लौह-अयस्क खान और मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 44) (1-7-83 से प्रवृत्त)

लौह-अयस्क खान और, मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 55)

[1 जून, 1979 को यथाविद्यमान]

28-6-85
6-12-93

[7 अप्रैल, 1976]

लौह-अयस्क खानों और, मैंगनीज-अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण को अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए लौह-अयस्क और मैंगनीज-अयस्क पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लौह-अयस्क खान और, मैंगनीज-अयस्क-खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रथमतः किसी राज्य में केवल लौह-अयस्क खानों को या केवल मैंगनीज-अयस्क खानों को ऐसी तारीख से लागू कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि उस सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इस अधिनियम का विस्तार उस राज्य में सभी लौह-अयस्क खानों और, मैंगनीज-अयस्क खानों पर ऐसी तारीख से कर सकेगी जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्यात" से भारत से बाहर के किसी स्थान को ले जाना अभिप्रेत है ;

(ख) "निधि" से लौह-अयस्क खान और, मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित लौह-अयस्क खान और, मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अभिप्रेत है ; 1976 का 61

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और लौह-अयस्क खान और, मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं। 1976 का 61

* 1-9-1976 से प्रवृत्त।
1 1982 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (1-7-83 से) प्रतिस्थापित।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उपधारा (3) के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान—

(i) कोई व्यक्ति विक्रय, बन्धक, दान या पट्टे के रूप में या अन्यथा पूर्वोक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रिक्त भूमि के किसी आधिक्य का (जिसके अन्तर्गत उसका कोई भाग भी है) अन्तरण नहीं करेगा और इस उपबन्ध के उल्लंघन में किया गया कोई ऐसा अन्तरण अकृत और शून्य समझा जाएगा; और

(ii) कोई व्यक्ति रिक्त भूमि के ऐसे आधिक्य के उपयोग को न तो परिवर्तित करेगा और न कराएगा।

(5) जहां कोई रिक्त भूमि उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है वहां सक्षम प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस पर कब्जा रखता है, आदेश दे सकता है कि वह उसका कब्जा उस राज्य सरकार को या उस राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करे।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है या पालन करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी रिक्त भूमि का कब्जा ले सकता है या संबंधित राज्य सरकार को या उस राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को दिलवा सकता है और इस प्रयोजन के लिए उतना बल प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, धारा 11 की उपधारा (1) में तथा धारा 14 और धारा 23 में "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है,—

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन किसी रिक्त भूमि के संबंध में केन्द्रीय सरकार;

1924 का 2 (ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और संघ राज्यक्षेत्र में या छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 के अधीन छावनी के रूप में घोषित किसी छावनी की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी रिक्त भूमि के संबंध में वह राज्य सरकार।

11. (1) जहां कोई रिक्त भूमि धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई समझी गई है वहां ऐसी राज्य सरकार उसमें कोई हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को,— अर्जित रिक्त भूमि के लिए रकम का संदाय।

(क) उस मामले में जिसमें ऐसी रिक्त भूमि से कोई आय होती है, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व के पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के दौरान ऐसी भूमि से वास्तव में व्युत्पन्न शुद्ध औसत वार्षिक आय के आठ सही एक बटा तीन गुने के बराबर रकम का संदाय करेगी; या

(ख) उस मामले में जिसमें ऐसी रिक्त भूमि से कोई आय व्युत्पन्न नहीं होती है, जिसमें निम्नलिखित दर से अनधिक दर से परिकलित रकम का संदाय करेगी, अर्थात् :—

(i) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख के अन्तर्गत आने वाली किसी नगर बस्ती में स्थित रिक्त भूमि की दशा में दस रुपए प्रति वर्गमीटर; और

(ii) उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ग या प्रवर्ग घ के अन्तर्गत आने वाली किसी नगर बस्ती में स्थित रिक्त भूमि की दशा में पांच रुपए प्रति वर्गमीटर ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शुद्ध औसत वार्षिक आय का अनुसूची 2 में उपवर्णित रीति से और सिद्धांतों के अनुसार परिकलन किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार—

(क) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस राज्य में स्थित प्रत्येक नगर बस्ती को किसी नगर बस्ती में स्थित भूमि की अवस्थिति को और उसके साधारण उपयोग को, उस नगर बस्ती के उचित विकास के लिए उस नगर बस्ती में भूमि की उपयोगिता को और ऐसी अन्य सुसंगत बातों को जो उस मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए विभिन्न अंचलों में विभाजित करेगी; और

(ख) उस खण्ड में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों के अधीन रहते हुए, उस अंचल में रिक्त भूमि की उपलब्धता को, उस अंचल में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बीस वर्ष की अवधि में रिक्त भूमि की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति को, सरकार द्वारा उस अंचल के विकास में विनिहित रकम को, उस अंचल में रिक्त भूमि के विद्यमान उपयोग को और ऐसी अन्य सुसंगत बातों को जो उस मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अंचल में रिक्त भूमि की प्रति वर्गमीटर दर नियत करेगी ।

(4) प्रत्येक नगर बस्ती के भीतर विभिन्न अंचलों में रिक्त भूमि के लिए उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन विभिन्न दरें नियत की जा सकती हैं ।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसी रिक्त भूमि जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अर्जित की गई समझी गई है, किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से किसी अनुदान, पट्टे या अन्य अभिधृति के अधीन धारित है और—

(i) ऐसे अनुदान, पट्टे या अन्य अभिधृति के निबन्धनों में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुदान, पट्टे या अन्य अभिधृति के पर्यवसान और ऐसी भूमि के वापस लिए जाने पर ऐसे व्यक्तियों को किसी रकम के संदाय का उपबन्ध नहीं है; या

(ii) ऐसे अनुदान, पट्टे या अन्य अभिधृति के निबन्धनों में ऐसे पर्यवसान और वापस लिए जाने पर ऐसे व्यक्ति को किसी रकम के संदाय का उपबन्ध है,

वहां—

(क) खण्ड (i) के अधीन आने वाले मामले में, उपधारा (1) के अधीन ऐसी रिक्त भूमि की बाबत कोई रकम संदेय नहीं होगी; और

(ख) खण्ड (ii) के अधीन आने वाले मामले में, ऐसी रिक्त भूमि की बाबत संदेय रकम ऐसे पर्यवसान और वापस लिए जाने पर ऐसे अनुदान, पट्टे या अन्य अभिधृति के निबन्धनों के अधीन उसे संदेय रकम या उपधारा (1) के अधीन उसे संदेय रकम, इनमें से जो भी कम हो, वह रकम होगी ।

(iii) उन रिक्त भूमियों की विशिष्टियां जो ऐसा व्यक्ति अधिकतम सीमा भीतर रखे रहना चाहता है;

(iv) उन रिक्त भूमियों में उस व्यक्ति के अधिकार, हक और हित की विशिष्टियां; और

(v) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

(3) प्रारूप विवरण संबंधित व्यक्ति पर ऐसी सूचना सहित विहित रीति से तामील किया जाएगा जिसमें यह कथन होगा कि प्रारूप विवरण के संबंध में आक्षेप उसकी तामील से तीस दिन के भीतर किया जाएगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के भीतर, उस व्यक्ति से जिस पर प्रारूप विवरण की एक प्रति की उस उपधारा के अधीन तामील की गई है, प्राप्त आक्षेप पर सम्यक् रूप से विचार करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

अंतिम विवरण । 9. धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त आक्षेपों को, यदि कोई हों, निपटाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी प्रारूप विवरण में पूर्वोक्त आक्षेपों पर पारित आदेशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करेगा और संबंधित व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा के आधिक्य में धारित रिक्त भूमि का अवधारण करेगा और संबंधित व्यक्ति पर इस प्रकार परिवर्तित प्रारूप विवरण की एक प्रति की तामील धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रीति से करेगा और जहां ऐसी रिक्त भूमि किसी पट्टे या बन्धक, या अवक्रय करार, या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन धारित है वहां ऐसी रिक्त भूमि के स्वामी पर भी ऐसी प्रति की तामील करेगा ।

अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि का अर्जन । 10. (1) संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के अधीन विवरण की तामील के पश्चात् यथाशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा के आधिक्य में धारित रिक्त भूमि की विशिष्टियां देते हुए और यह उल्लिखित करते हुए कि—

(i) रिक्त भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जानी है; और

(ii) ऐसी रिक्त भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों के दावे ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वयं या उनके अभिकर्ताओं द्वारा, ऐसी भूमि में अपने हितों की प्रकृति की विशिष्टियां देते हुए, किए जा सकेंगे,

एक अधिसूचना असाधारण की जानकारी के लिए संबंधित राज्य के राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित कराएगा जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी को किए गए, रिक्त भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दावों पर विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रकृति और विस्तार का अवधारण करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट रिक्त भूमि का आधिक्य ऐसी तारीख से जो घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया गया समझा जाएगा और ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर, ऐसी भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से आत्यन्तिक रूप में निहित हुई समझी जाएगी ।

और इसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कंपनी या संगम के कार्यकलापों के प्रबंध से संबद्ध वह व्यक्ति भी है जिस पर सक्षम प्राधिकारी ने उसे उसका प्रधान अधिकारी मानने के अपने आशय की सूचना की तामील की है ।

उन मामलों में विवरणों का फाइल किया जाना जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता के भीतर स्थित है ।

7. (1) जहां कोई व्यक्ति ऐसी रिक्त भूमि धारण करता है जो दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता के भीतर स्थित है चाहे वह एक ही राज्य में हो या दो या अधिक राज्यों में हो जिनको यह अधिनियम लागू होता है वहां वह धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विवरण उस सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका अधिकांश भाग स्थित है और तत्पश्चात् सभी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां अन्य संबंधित सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों का अपवर्जन करते हुए उस सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जाएंगी जिसके समक्ष विवरण फाइल किया गया है और वह सक्षम प्राधिकारी उसकी सूचना अन्य संबंधित सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित और ऐसे एक ही राज्य के भीतर जिसको यह अधिनियम लागू होता है, दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता के भीतर स्थित रिक्त भूमि का विस्तार बराबर है वहां वह धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अपना विवरण ऐसे सक्षम प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा और उसकी सूचना राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में भेजेगा जो विहित किया जाए और तब राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे सक्षम प्राधिकारी का अवधारण करेगी जिसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन सभी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों का अपवर्जन करते हुए की जाएंगी और उस आदेश को ऐसे व्यक्ति और संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को संसूचित करेगी ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित और ऐसे दो या अधिक राज्यों के भीतर जिनको यह अधिनियम लागू होता है, दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता के भीतर स्थित रिक्त भूमि का विस्तार बराबर है वहां वह धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अपना विवरण ऐसे सक्षम प्राधिकारियों में से किसी एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा और उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में भेजेगा जो विहित किया जाए और तब केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे सक्षम प्राधिकारी का अवधारण करेगी जिसके समक्ष सभी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां अन्य सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों का अपवर्जन करते हुए की जाएंगी और उस आदेश को ऐसे व्यक्ति, संबंधित राज्य सरकारों और सक्षम प्राधिकारियों को संसूचित करेगी ।

अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के बारे में प्रारूप विवरण का तैयार किया जाना ।

8. (1) धारा 6 के अधीन फाइल किए गए विवरण के आधार पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो सक्षम प्राधिकारी ठीक समझे, सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 6 के अधीन विवरण फाइल किया है, एक प्रारूप विवरण तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक विवरण में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(i) उस व्यक्ति का नाम और पता;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित उन सभी रिक्त भूमियों की और किसी अन्य भूमि की विशिष्टियां जिन पर भवन है चाहे उसमें निवास-एकक हो या नहीं;

(iii) उन रिक्त भूमियों की विशिष्टियां जो ऐसा व्यक्ति अधिकतम सीमा भीतर रखे रहना चाहता है;

(iv) उन रिक्त भूमियों में उस व्यक्ति के अधिकार, हक और हित की विशिष्टियां, और

(v) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

(3) प्रारूप विवरण संबंधित व्यक्ति पर ऐसी सूचना सहित विहित रीति से तामील किया जाएगा जिसमें यह कथन होगा कि प्रारूप विवरण के संबंध में आक्षेप उसकी तामील से तीन दिन के भीतर किया जाएगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के भीतर, उस व्यक्ति से जिस पर प्रारूप विवरण की एक प्रति की उस उपधारा के अधीन तामील की गई है, प्राप्त आक्षेप पर सम्यक् रूप से विचार करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

अंतिम विवरण । 9. धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त आक्षेपों को, यदि कोई हों, निपटाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी प्रारूप विवरण में पूर्वोक्त आक्षेपों पर पारित आदेशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करेगा और संबंधित व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा के आधिक्य में धारित रिक्त भूमि का अवधारण करेगा और संबंधित व्यक्ति पर इस प्रकार परिवर्तित प्रारूप विवरण की एक प्रति की तामील धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रीति से करेगा और जहां ऐसी रिक्त भूमि किसी पट्टे या बन्धक, या अवक्रय करार, या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन धारित है वहां ऐसी रिक्त भूमि के स्वामी पर भी ऐसी प्रति की तामील करेगा ।

अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि का अर्जन । 10. (1) संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के अधीन विवरण की तामील के पश्चात् यथाशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा के अधिक्य में धारित रिक्त भूमि की विशिष्टियां देते हुए और यह उल्लिखित करते हुए कि—

(i) रिक्त भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जानी है; और

(ii) ऐसी रिक्त भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों के दावे ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वयं या उनके अभिकर्ताओं द्वारा, ऐसी भूमि में अपने हितों की प्रकृति की विशिष्टियां देते हुए, किए जा सकेंगे,

एक अधिसूचना जनसाधारण की जानकारी के लिए संबंधित राज्य के राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित कराएगा जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी को किए गए, रिक्त भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दावों पर विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रकृति और विस्तार का अवधारण करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट रिक्त भूमि का आधिक्य ऐसी तारीख से जो घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया गया समझा जाएगा और ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर, ऐसी भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से आत्यन्तिक रूप से निहित हुई समझी जाएगी ।

(iii) जहां धारा 2 के खण्ड (ङ) के अधीन कोई अधिसूचना किसी ऐसे राज्य के जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, किसी क्षेत्र के संबंध में जारी की गई है वहां ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख ।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि,—

(क) किसी ऐसे राज्य में जिसको यह अधिनियम पहली बार ; लागू होता है, किसी व्यक्ति ने 17 फरवरी, 1975 को या उसके पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण की है या वह ऐसे प्रारम्भ पर ऐसी भूमि धारण करता है; या

(ख) किसी ऐसे राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करता है, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करता है ;

तो उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, वह ऐसे व्यक्ति पर सूचना की ऐसी तामील उससे यह अपेक्षा करते हुए कर सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरण फाइल करे ।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह इस धारा के अधीन विवरण फाइल करने की तारीख ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकता है जो वह ठीक समझे; किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि या कुल अवधियां तीन मास से अधिक नहीं होंगी ।

(4) इस धारा के अधीन विवरण निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जाएगा अर्थात् :—

(क) किसी व्यष्टि की दशा में, स्वयं व्यष्टि द्वारा, जहां व्यष्टि भारत से अनुपस्थित है वहां संबंधित व्यष्टि द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां व्यष्टि अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ख) किसी कुटुम्ब की दशा में, पति या पत्नी द्वारा और जहां पति या पत्नी भारत से अनुपस्थित है या अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां ऐसे पति या पत्नी द्वारा जो इस प्रकार अनुपस्थित नहीं है या मानसिक रूप से असमर्थ नहीं है और जहां पति और पत्नी दोनों भारत से अनुपस्थित हैं या अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां पति या पत्नी या दोनों की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ग) किसी कम्पनी की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा;

(घ) किसी फर्म की दशा में, उसके किसी भागीदार द्वारा;

(ङ) किसी अन्य संगम की दशा में, उस संगम के किसी सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रधान अधिकारी" से,–

(i) किसी कम्पनी के संबंध में कम्पनी का सचिव, प्रबन्धक या प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(ii) किसी संगम के संबंध में संगम का सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबन्धक या अभिकर्ता अभिप्रेत है,

जाएगा और यदि रिक्त भूमि का संपूर्ण आधिक्य इस प्रकार नहीं चुना जा सकता है तो अतिशेष, या जहां अन्तरण के पश्चात् उसके द्वारा कोई रिक्त भूमि धारित नहीं है वहां रिक्त भूमि का संपूर्ण आधिक्य, अन्तरिती द्वारा धारित रिक्त भूमि में से चुना जाएगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति ने अपनी रिक्त भूमि एक से अधिक व्यक्तियों को अन्तरित की है वहां, यथास्थिति, अतिशेष या पूर्वोक्त रिक्त भूमि का संपूर्ण आधिक्य ऐसे अन्तरितियों में से प्रत्येक अन्तरिती द्वारा धारित रिक्त भूमि में से उसी अनुपात में चुना जाएगा जो अनुपात उसकी अन्तरिति रिक्त भूमि के क्षेत्र का सभी अन्तरितियों को अन्तरित भूमि के कुल क्षेत्र से है ।

(2) जहां रिक्त भूमि का कोई आधिक्य उपधारा (1) के अधीन अन्तरित भूमि से चुना जाता है वहां इस प्रकार चुनी गई रिक्त भूमि के आधिक्य का अन्तरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

(3) किसी ऐसे राज्य में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है और किसी ऐसे राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बन्धक, दान या पट्टे के रूप में या अन्यथा अन्तरण नहीं करेगा जब तक कि उसने धारा 6 के अधीन विवरण न दे दिया हो और अपने द्वारा धारित रिक्त भूमि के आधिक्य के बारे में धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित न कर दी गई हो और इस उपबन्ध के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरण का फाइल किया जाना ।

6. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण कर रहा है, ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक ऐसा विवरण फाइल करेगा जिसमें उसके द्वारा धारित सभी रिक्त भूमि और किसी अन्य भूमि का जिस पर ऐसा भवन है जिसमें कोई निवास-एकक हो या नहीं, अवस्थान, विस्तार, मूल्य और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट की जाएंगी (जिनमें ऐसी भूमि में उसके अधिकार, हक या हित की प्रकृति सम्मिलित है) और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली रिक्त भूमि भी विनिर्दिष्ट की जाएंगी जिन्हें वह रखे रहना चाहता है :

परन्तु किसी ऐसे राज्य के संबंध में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, इस उपधारा के उपबन्धों का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण कर रहा है" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने 17 फरवरी, 1975 को उसके पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, अधिकतम सीमा अधिक रिक्त भूमि धारण की है और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधि रिक्त भूमि धारण कर रहा है" शब्द और अंक रखे हुए थे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "इस अधिनियम के प्रारम्भ" से अभिप्रेत है,—

(i) वह तारीख जिसको यह अधिनियम किसी राज्य में प्रवृत्त होता है

(ii) जहां कोई ऐसी भूमि जो ऐसे राज्य में स्थित रिक्त भूमि नहीं है जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, किसी भी कारण से रिक्त भूमि बन गई है वहां वह तारीख जिसको ऐसी भूमि रिक्त भूमि बन जाती है;

दिन के पूर्व, किसी व्यक्ति ने अपने द्वारा धारित और ऐसे राज्य में स्थित किसी रिक्त भूमि का विक्रय, बन्धक दान या पट्टे के रूप में या अन्यथा कोई अन्तरण (मूल्यवान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा सद्भावपूर्ण विक्रय से भिन्न) किसी अन्य व्यक्ति को किया है चाहे वह प्रतिफल के लिए हो या नहीं तो, इस प्रकार अंतरित भूमि को, ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार अन्तरित भूमि में अन्तरिती के अधिकार या हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हिसाब में लिया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा अन्यसंक्रांत किया जाने वाला रिक्त भूमि का अधिकार ऐसे अन्तरण के पश्चात् उसके द्वारा धारित रिक्त भूमि में से ही चुना जाएगा ।

(ख) खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए यह साबित करने का भार कि कोई विक्रय सद्भावपूर्ण विक्रय है, अन्तरक पर ही होगा ।

स्पष्टीकरण—जहां पूर्वोक्त किसी राज्य में, उस राज्य में की नगर संपत्ति का अन्तरण प्रतिषिद्ध करने वाली कोई विधि प्रवृत्त थी या है जिसमें यह अधिकथित है या था कि उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन, यदि कोई हों, सम्पत्ति का अन्तरण किया जाएगा वहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी संपत्ति का जो रिक्त भूमि है किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय के रूप में किया गया ऐसा अन्तरण जो ऐसी विधि के उपबन्धों के अनुसार या ऐसी विधि के अधीन दी गई किसी मंजूरी या अनुज्ञा के अनुसरण में मूल्यवान् प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया गया है, सद्भावपूर्ण विक्रय समझा जाएगा ।

(5) जहां कोई फर्म या अनिगमित व्यष्टि-संगम या व्यष्टि-निकाय कोई रिक्त भूमि धारण करता है या ऐसी कोई अन्य भूमि धारण करता है जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवास-एकक है या रिक्त भूमि और ऐसी अन्य भूमि दोनों धारण करता है वहां ऐसी फर्म या संगम या निकाय में उस व्यक्ति के अंश के आधार पर, यथास्थिति, रिक्त भूमि या ऐसी अन्य भूमि या दोनों में उस व्यक्ति का अधिकार या हित भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने में हिसाब में लिया जाएगा ।

(6) जहां कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट न्यास का हित.धिकारी है और ऐसे न्यास से आय में अंश ज्ञात है या उसका अवधारण किया जा सकता है वहां न्यास द्वारा धारित उस रिक्त भूमि में और किसी ऐसी अन्य भूमि में जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवास-एकक है ऐसे व्यक्ति का अंश उसी अनुपात में समझा जाएगा जिसमें ऐसे न्यास की कुल आय में उसके अंश का ऐसी कुल आय से अनुपात है और उसके अंश में प्रभाजनीय ऐसी भूमि का विस्तार भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने में हिसाब में लिया जाएगा ।

(7) जहां कोई व्यक्ति हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है वहां उस रिक्त भूमि का और किसी ऐसी अन्य भूमि का जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवास-एकक है उतना भाग भी जितना उसके अंश में आता यदि अविभक्त कुटुम्ब द्वारा धारित संपूर्ण रिक्त भूमि का और ऐसी अन्य भूमि का इस अधिनियम के प्रारम्भ पर उसके सदस्यों में विभाजन किया जाता, ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने में हिसाब में लिया जाएगा ।

(8) जहां कोई ऐसा व्यक्ति जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी सहकारी आवास सोसाइटी का सदस्य है ऐसी सोसाइटी द्वारा उसको आवंटित रिक्त भूमि धारण करता है

वहां इस प्रकार धारित भूमि का विस्तार भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने में हिसाब में लिया जाएगा।

(9) जहां कोई व्यक्ति कोई रिक्त भूमि धारण करता है और ऐसी कोई अन्य भूमि भी धारण करता है जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवास-एकक है वहां भवन द्वारा अधिभुक्त ऐसी अन्य भूमि और उससे अनुलग्न भूमि का विस्तार भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने में हिसाब में लिया जाएगा।

(10) जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन के जो सामूहिक आवास है किसी भाग का स्वामी है वहां ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि और उसमें अनुलग्न भूमि में ऐसे व्यक्ति का आनुपातिक अंश भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने में हिसाब में लिया जाएगा।

(11) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (5), (6), (7), (9) और (10) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सक्षम प्राधिकारी को धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी भूमि को इस अध्याय के अधीन रिक्त भूमि के आधिक्य के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त करती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 6, 8 और 18 के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह कोई ऐसी भूमि धारण करता है जिस पर कोई भवन है (चाहे उसमें निवास-एकक हों या नहीं) यदि वह—

(i) ऐसी भूमि और भवन का स्वामी है ; या

(ii) ऐसी भूमि का स्वामी है किन्तु ऐसे भवन या ऐसी भूमि और भवन पर कब्जा रखता है और, दोनों में से किसी भी दशा में ऐसा कब्जा किसी ऐसे पट्टे के अधीन अभिधारी के रूप में है जिस पट्टे की अनवसित अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर दस वर्ष से कम नहीं है या किसी बन्धकदार के रूप में है या किसी अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन है या भागतः उक्त हैसियतों में से किसी एक हैसियत में और भागतः उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य हैसियत में है ; या

(iii) ऐसी भूमि पर कब्जा रखता है किन्तु ऐसे भवन का स्वामी है और ऐसा कब्जा किसी पट्टे के अधीन अभिधारी के रूप में है या किसी बन्धकदार के रूप में है या किसी अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन है या भागतः उक्त हैसियतों में से किसी एक हैसियत में या भागतः उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य हैसियत में है।

रिक्त भूमि का अन्तरण।

5. (1) किसी ऐसे राज्य में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, जहां किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय अधिकतम सीमा के आधिक्य में रिक्त भूमि धारण की है, ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बन्धक, दान, पट्टे के रूप में या अन्यथा अन्तरण किया है वहां इस प्रकार अन्तरित भूमि के विस्तार को भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने में हिसाब में लिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में रिक्त भूमि का आधिक्य इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अन्तरण के पश्चात् उसके द्वारा धारित रिक्त भूमि में से चुना

(घ) जहां ऐसी भूमि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग घ के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित है वहां दो हजार वर्गमीटर ।

(2) जहां कोई व्यक्ति अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नगर बस्तियों के दो या अधिक प्रवर्गों में स्थित रिक्त भूमि धारण करता है वहां उसके द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) प्रवर्ग क के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित एक वर्गमीटर रिक्त भूमि को प्रवर्ग ख के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित दो वर्गमीटर रिक्त भूमि के बराबर, प्रवर्ग ग के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित तीन वर्गमीटर रिक्त भूमि के बराबर और प्रवर्ग घ के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित चार वर्गमीटर रिक्त भूमि के बराबर समझा जाएगा;

(ख) प्रवर्ग ख के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित एक वर्गमीटर रिक्त भूमि को प्रवर्ग ग के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित एक सही एक बटे दो वर्गमीटर रिक्त भूमि के बराबर और प्रवर्ग घ के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित दो वर्गमीटर रिक्त भूमि के बराबर समझा जाएगा; और

(ग) प्रवर्ग ग के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित एक वर्गमीटर रिक्त भूमि को प्रवर्ग घ के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित एक सही एक बटे तीन वर्गमीटर रिक्त भूमि के बराबर समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी रिक्त भूमि की बाबत कोई सामूहिक आवास स्कीम इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मंजूर की गई है वहां ऐसे प्रारम्भ पर ऐसी रिक्त भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति सामूहिक आवास के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि को धारण किए रहने का हकदार होगा :

परन्तु कोई एक व्यक्ति सामूहिक आवास में एक से अधिक निवास-एकक अपने स्वामित्व में नहीं रखेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी रिक्त भूमि का विस्तार जिसे ऐसा व्यक्ति धारण करने का हकदार होगा, किसी भी दशा में,—

(क) ऐसे सामूहिक आवास को शासित करने वाले निर्माण विनियमों के अधीन अपेक्षित विस्तार; या

(ख) सामूहिक आवास में निवास-एककों की संख्या में उपधारा (1) में निर्दिष्ट समुचित अधिकतम सीमा का गुणा करके परिकलित विस्तार,

इनमें से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "सामूहिक आवास" से एक या अधिक मंजिलों वाला सन्निर्मित या सन्निर्मित किया जाने वाला कोई ऐसा भवन अभिप्रेत है जिसको प्रत्येक मंजिल में शामिलाती सेवा-प्रसुविधाओं वाले एक या अधिक निवास-एकक हों;

(ii) "शामिलाती सेवा-प्रसुविधा" के अन्तर्गत सीढ़ी, बालकनी और बरामदे जैसी प्रसुविधाएं भी हैं ।

(4) (क) किसी ऐसे राज्य में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, यदि 17 फरवरी, 1975 को या उसके पश्चात्, किन्तु नियत

(त) "नगर योग्य भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो किसी नगर बस्ती के भीतर स्थित है किन्तु जो नगरभूमि नहीं है;

(थ) "रिक्त भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नगर बस्ती में मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि नहीं है किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है, अर्थात् :—

(i) वह भूमि जिस पर उस क्षेत्र में जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, प्रवृत्त निर्माण विनियमों के अधीन भवन का सन्निर्माण अनुज्ञेय नहीं है;

(ii) किसी ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम हैं वहां किसी ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि जिसका समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से नियत दिन के पूर्व या को सन्निर्माण किया गया है या किया जा रहा है और ऐसे भवन से अनुलग्न भूमि; और

(iii) किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं है वहां किसी ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि जिसका नियत दिन के पूर्व या को सन्निर्माण किया गया है या किया जा रहा है और ऐसे भवन से अनुलग्न भूमि :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति दुग्ध उद्योग के प्रयोजन से या पशु प्रजनन के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी नगर बस्ती के भीतर किसी ग्राम में (जिसे राजस्व अभिलेख में ग्राम के रूप में वर्णित किया गया हो) स्थित किसी भूमि पर सामान्यतया अपने पशु रखता है वहां भूमि के उतने विस्तार को इस खंड के प्रयोजनों के लिए रिक्त भूमि नहीं समझा जाएगा जिसका उपयोग नियत दिन के ठीक पूर्व सामान्यतया ऐसे पशु रखने के लिए किया जाता है ।

अध्याय 3

रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा

व्यक्तियों का अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करने का हकदार न होना ।

3. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही कोई व्यक्ति उन राज्यक्षेत्रों में जिनको यह अधिनियम धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन लागू होता है, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करने का हकदार नहीं होगा ।

अधिकतम सीमा ।

4. (1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी, अर्थात् :—

(क) जहां रिक्त भूमि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग क के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित है वहां पांच सौ वर्गमीटर;

(ख) जहां ऐसी भूमि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ख के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित है, वहां एक हजार वर्गमीटर;

(ग) जहां ऐसी भूमि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ग के भीतर आने वाली नगर बस्ती में स्थित है वहां एक हजार पांच सौ वर्गमीटर;

(i) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विस्तार से या उपखण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट विस्तार से बची हुई भूमि का, यदि कोई हो, पांच सौ वर्ग मीटर से अनधिक अतिरिक्त विस्तार भी है ;

(ज) किसी नगर बस्ती या उसके किसी भाग के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में "महायोजना" से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग के विकास के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन या राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में बनाई गई योजना (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) और जिसमें उन प्रक्रमों का उपबन्ध है जिनसे ऐसा विकास किया जाएगा;

(झ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत व्यष्टि, कुटुम्ब, फर्म, कम्पनी या व्यष्टि-संगम या व्यष्टि-निकाय भी है, चाहे निगमित हो या नहीं;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1924 का 2　(ट) "राज्य" के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है और किसी संघ राज्यक्षेत्र में या किसी छावनी की जो छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित है, स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में "राज्य सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) किसी रिक्त भूमि के सम्बन्ध में उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित "धारण करना" से अभिप्रेत है—

(i) ऐसी भूमि को अपने स्वामित्व में रखना; या

(ii) ऐसी भूमि को स्वामी या अभिधारी या बन्धकदार के रूप में अथवा अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन या भागत: उक्त हैसियतों में से किसी एक हैसियत में और भागत: उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य हैसियत में अपने कब्जे में रखना।

स्पष्टीकरण—जहां एक ही रिक्त भूमि किसी व्यक्ति द्वारा एक हैसियत में धारण की जाती है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य हैसियत में धारण की जाती है वहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे दोनों व्यक्तियों द्वारा धारित है;

(ड) "अधिकरण" से धारा 12 के अधीन गठित नगर-भूमि अधिकरण अभिप्रेत है;

(ढ) "नगर बस्ती" से अभिप्रेत है,—

(क) अनुसूची 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में,—

(i) उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती और इसके अन्तर्गत उसके स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उपान्त क्षेत्र भी है; और

(ii) कोई ऐसा अन्य क्षेत्र जिसे राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उसके अवस्थान, जनसंख्या (ऐसी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो) और ऐसे अन्य सुसंगत तथ्यों को जो किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर बस्ती घोषित करे और इस प्रकार घोषित कोई बस्ती उस अनुसूची के प्रवर्ग घ की बस्ती समझी जाएगी और उसके लिए उपान्त क्षेत्र एक किलोमीटर होगा;

(ख) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से

उसके अवस्थान, जनसंख्या (ऐसी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो) और ऐसे अन्य सुसंगत तथ्यों को जो किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर बस्ती घोषित करे और इस प्रकार घोषित कोई बस्ती अनुसूची 1 के प्रवर्ग ध की बस्ती समझी जाएगी और उसके लिए उपान्त क्षेत्र एक किलोमीटर होगा;

(ण) "नगर-भूमि" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी नगर बस्ती की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि जो महायोजना में इस रूप में निर्दिष्ट है; या

(ii) ऐसी दशा में जहां कोई महायोजना नहीं है या जहां महायोजना में किसी भूमि को नगर-भूमि के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है वहां किसी नगर बस्ती की सीमाओं के भीतर की कोई भूमि जो किसी नगरपालिका (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो), अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, शहर और नगर समिति, लघु नगर समिति, छावनी बोर्ड या पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में स्थित है,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड और खण्ड (घ) के प्रयोजन के लिए,—

(क) "कृषि" के अन्तर्गत उद्यान-कृषि भी है किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है, अर्थात् :—

(i) घास उगाना,

(ii) दुग्ध उद्योग,

(iii) कुक्कट पालन,

(iv) पशु प्रजनन, और

(v) ऐसी खेती या ऐसे पौधे उगाना जो विहित किए जाएं;

(ख) किसी भूमि के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है, यदि ऐसी भूमि नियत दिन के पूर्व राजस्व या भूमि अभिलेखों में कृषि के प्रयोजन के लिए भूमि के रूप में प्रविष्ट नहीं है :

परन्तु जहां ऐसी भूमि पर जो नियत दिन के पूर्व राजस्व या भूमि अभिलेखों में कृषि के प्रयोजन के लिए भूमि के रूप में प्रविष्ट है, कोई भवन है जो कृषि-गृह नहीं है वहां ऐसी भूमि के उतने विस्तार के बारे में जो भवन द्वारा अधिभुक्त है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है :

परन्तु यह और कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई भवन कृषि-गृह है या नहीं तो ऐसा प्रश्न राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा;

(ग) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी किसी भूमि के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है, यदि ऐसी भूमि, महायोजना में कृषि से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;

को और सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा है और यह ऐसे अन्य राज्यों को भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करें ।

(3) यह आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में और संघ राज्यक्षेत्रों में तुरन्त प्रवृत्त होगा और किसी अन्य राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करता है, ऐसे अंगीकार करने की तारीख को प्रवृत्त होगा इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश में, में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त होता है ।

अध्याय 2

परिभाषाएं

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी ऐसे राज्य के संबंध में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक, 1976 के संसद् में पुरःस्थापन की तारीख; और

(ii) किसी अन्य राज्य के संबंध में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करता है, ऐसे अंगीकार करने की तारीख ;

(ख) "निर्माण विनियम" से महायोजना या प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट विनियम अभिप्रेत हैं जो भवनों के संनिर्माण को शासित करते हैं ;

(ग) "अधिकतम सीमा" से धारा 4 में विनिर्दिष्ट अधिकतमसीमा अभिप्रेत है ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है और विभिन्न कृत्यों का पालन करने के लिए विभिन्न व्यक्ति या प्राधिकारी प्राधिकृत किए जा सकें ;

(ङ) किसी भवन या भवन के किसी भाग के संबंध में "निवास-एकक" से ऐसे भवन या उसके भाग में कोई आवास-एकक अभिप्रेत है जिसका उपयोग केवल निवास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

(च) किसी व्यक्ति के संबंध में "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का, यथास्थिति, पति या पत्नी और उनकी अविवाहित अवयस्क सन्तान ।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो;

(छ) किसी भवन के संबंध में "अनुलग्न भूमि" से अभिप्रेत है—

(i) किसी ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम हैं वहां ऐसे भवन के उपयोग के लिए खुले स्थान के रूप में रखे जाने के लिए ऐसे विनियमों के अधीन अपेक्षित भूमि का न्यूनतम विस्तार, जो किसी भी दशा में पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा ; या

(ii) किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं हैं वहां ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि से लगे हुए पांच सौ वर्ग मीटर का विस्तार;

और इसके अन्तर्गत, निवास-एकक वाले किसी ऐसे भवन की दशा में जिसका नियत दिन के पूर्व संनिर्माण किया गया है, यथास्थिति, उपबन्ध